

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारिनी अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर०ए०ए०))

वाद सं० : 807 राग 2020

अनवान :-

1. सत्यवीर पुत्र सुरजाराग जाति ब्रह्मण निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. सुरजाराग पुत्र नानुराम जाति ब्रह्मण निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. प्रेमलता पुत्री सुरजाराग पत्नि पुशुभतम जाति ब्रह्मण निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
3. लीलावती पुत्री सुरजाराग पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति ब्रह्मण निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
4. इन्द्रवती पुत्री सुरजाराग पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्रह्मण निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
5. सन्दीप कुमार पुत्र सुरजाराग जाति ब्रह्मण निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 619/516 की कुल 10.5420 है वाद की मद संख्या 2 के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिरामें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिरसा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो काफी वृद्ध हो चुका है ने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिरसा की भूमि है जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नानुराम पुत्र मामराज के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेशोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 619/516 की कुल 10.5420 है वाद की गद संख्या 2 के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो काफी वृद्ध हो चुका है ने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 619/516 की कुल 10.5420 है वाद की गद संख्या 2 के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्बन्ध 2001 व पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि नानुराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम पुत्र मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होगा साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है


अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पोते/पोतियों को बराबर का एक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के एक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के एक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 वारानी के खाता संख्या 619/516 की कुल 10.542हैक्व भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 323/352(54) के किला न0 16 ता 25/2.530हैक् व प0न0 324/352(55) के किला न0 11 ता 14/1.012हैक् , 17/2 की 0.0630 ,17/3 की 0.0380हैक् , 18/2 की 0.1520 ,19/2 की 0.240 ,20/0.2530 ,21/2 की 0.0700 ,21/3 की 0.0630 ,22/2 की 0.1120 ,23/2 की 0.1900 ,24/0.2530 ,प0न0 324/353(96) किला न0 1 ता 3/0.7590हैक् 8 ,9/0.5060हैक् कुल 29 किला की 6.241हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं रोही मौजा चक 3 वारानी के खाता संख्या 619/516 के प0न0 322/352(53) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 324/353(96) किला न0 10 ता 13/1.012हैक् प0न0 323/353(97) किला न0 1 ता 10/2.530हैक् , प0न0 322/353(98)के किला न0. 5 ,6/0.506हैक् कुल किला 17 की कुल 4.301हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकगील जाब्ला दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिवक्ता (विजराज)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रात्यवीर पुत्र सुरजाराम जाति ब्रह्मण निवारी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नानुराम जाति ब्रह्मण निवारी मलवानी तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पुत्री सुरजाराम पत्नि पुरुषोत्तम जाति ब्रह्मण निवारी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
3. लीलावती पुत्री सुरजाराम पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति ब्रह्मण निवारी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
4. इन्द्रवती पुत्री सुरजाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्रह्मण निवारी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा
5. सन्दीप कुमार पुत्र सुरजाराम जाति ब्रह्मण निवारी मलवानी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 807 सन 2020 निर्णय दिनांक- 02/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजरव) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी राक्ष्य सदुतो एवं प्रतिवादीगण की सहगति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 वारानी के खाता संख्या 619/516 की कुल 10.542 हैक्ठ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 323/352(54) के किला न0 16 ता 25/2.530 हैक्ठ व प0न0 324/352(55) के किला न0 11 ता 14/1.012 हैक्ठ, 17/2 की 0.0630, 17/3 की 0.0380 हैक्ठ, 18/2 की 0.1520, 19/2 की 0.240, 20/0.2530, 21/2 की 0.0700, 21/3 की 0.0630, 22/2 की 0.1120, 23/2 की 0.1900, 24/0.2530, प0न0 324/353(96) किला न0 1 ता 3/0.7590 हैक्ठ 8, 9/0.5060 हैक्ठ कुल 29 किला की 6.241 हैक्ठ भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं रोही मौजा चक 3 वारानी के खाता संख्या 619/516 के प0न0 322/352(53) किला न0 25/0.2530, प0न0 324/353(96) किला न0 10 ता 13/1.012 हैक्ठ प0न0 323/353(97) किला न0 1 ता 10/2.530 हैक्ठ, प0न0 322/353(98) के किला न0. 5, 6/0.506 हैक्ठ कुल कित्ता 17 की कुल 4.301 हैक्ठ भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)